भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2906

उत्तर देने की तारीख : 17.12.2025

प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत महिला नेतृत्व और उद्यमिता

2906. श्री सुनील बोस:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत नेतृत्व और बुनियादी उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा उद्यमिता विकास के प्रारंभ से लेकर अब तक नामांकन कराने और उक्त कार्यक्रम पूरा करने वाली महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है, जो सफलतापूर्वक व्यावसायिक सलाहकार/व्यावसायिक संवाददाता (बिज सखी/उद्यमी मित्र) बन चुकी हैं;

(ग) उद्यमिता विकास मॉड्यूल के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों द्वारा स्थापित व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन वित्तीय संस्थानों जैसे एनएमडीएफसी, बैंकों और एनबीएफसी का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से उद्यम स्थापना संबंधी सहायता प्रदान की गई है और वर्षवार ऋण की कुल कितनी राशि संवितरित की गई है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): पीएम विकास योजना के तहत महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका वृद्धि में प्रशिक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम महिलाओं को आवश्यक उद्यमशीलता संबंधी दक्षताओं से सुसज्जित करता है, जिससे उनकी अधिक आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। ये व्यवस्थाएं सभी जिलों पर लागू हैं और महिला उन्मुख विकास को आगे बढ़ाने और मूल स्तर पर सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

यह घटक अल्पसंख्यक महिलाओं को क्रमशः 60 और 120 घंटे के "नेतृत्व और बुनियादी उद्यमशीलता विकास", "उद्यमशीलता विकास" सहित तीन त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण के दूसरे स्तर के बाद चयनित प्रतिभागियों को "बिज सखी" या "उद्यमी मित्र" बनने के लिए 240 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसकी परिकल्पना स्थानीय स्तर पर अन्य महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए की गई है।

पीएम विकास योजना के तहत, हाल ही में लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, और महिला नेतृत्व एवं उद्यमशीलता घटक के तहत आवंटित लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विभाजन इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आवंटित लक्ष्य**
1	आंध्र प्रदेश	300
2	अरुणाचल प्रदेश	250
3	असम	250
4	दिल्ली	450
5	केरल	720
6	मध्य प्रदेश	60
7	मेघालय	250
8	नागालैंड	250
9	त्रिपुरा	250
10	उत्तर प्रदेश	600
	कुल	**3,380**

(ख) से (घ): चूंकि पीएम विकास योजना के महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता घटक के तहत आवंटन हाल ही में किया गया है और इन सभी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू किया गया है, इसलिए सफल व्यावसायिक सलाहकारों, स्थापित उद्यमों और महिलाओं को प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है।

*****